राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार 2017

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी– श्री के0आर0 खोड़ आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	तारीख दायर	तारीख फैसला
28 / 2017 / वाद पत्र	10.04.2017	10.05.2017

उनवान

रेखा कंवर पत्नि राजेशसिंह राणावत निवासी शाहपुरा

– वादिया

बनाम

1–6 रामकिशन, नन्दलाल, गोपाल, मु0 सजनी, मु0 प्रेम, मु0 समेदरा, पिता हीरा जाट निवासी बड़ेसरा तहसील शाहपुरा
7– मु0 गुमानी पत्नि हीरा जाट निवासी बड़ेसरा तहसील शाहपुरा
8–9 सुवालाल रामकुंवार पिता रामरतन जाट निवासी बड़ेसरा तह0 शाहपुरा
10– मु0 अलोल बेवा रामरतन जाट निवासी बड़ेसरा तह0 शाहपुरा
11– मैनेजर, एस0बी0बी0जे0 शाखा शाहपुरा
12– तहसीलदार, शाहपुरा

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर0टी0ए0

उपस्थित :– श्री चावण्डसिंह शक्तावत : अधिवक्ता वादिया

निर्णय

वादिया ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 रा0टी0ए0 विरूद्व प्रतिवादीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, ग्राम बड़ेसरा प0ह0 फूलियाखुर्द तहसील शाहपुरा मे वादिया व प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 10 के सहखातेदारी अधिकार की आराजी नम्बर 527 रकबा 0.70 है0, आ0न0 528 रकबा 0.63 है0 कुल किता 2 रकबा 1.33 है0 है। जिसमे वादिया का 1/4 हिस्सा निहित है। उक्त आराजीयात वर्तमान मे संयुक्त खातेदारी मे दर्ज होने से वादिया अपने हक हिस्से की आराजी मे लागत लगाकर और अधिक विकसित नही कर पा रही है इसलिए वादिया अपने हक हिस्से 1/4 अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाड़ा कराना चाहती है। प्रतिवादी नं0 11 बैंक मैनेजर है जिनके यहाँ वादिया का हिस्सा रहन है एवं प्रतिवादी नं0 12 लैण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाये गये है। अतः वादिया के पक्ष मे एवं प्रतिवादीगण नं0 1 से 10 के विरूद्व बंटवाड़ा आराजीयात की डिक्री इस अमर की जारी फरमाई जावे कि पैरा नं0 1 मे वर्णित आराजीयात जिसमे वादिया का 1/4 हक हिस्सा निहित है उस अनुसार मौके पर मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाड़ा किया जाकर डिक्री प्रदान करावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन नोटिस राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार – 2017 अटल सेवा केन्द्र फूलियाखुर्द कर तलब किया गया। प्रतिवादीगण दिनांक 10.05.2017 बावजूद सम्मन तामील उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रकरण मे वादिया स्वयं का शपथ पत्र साक्ष्य के रूप मे पेश किया गया जो पी0डब्ल्यू0 – 1 है। बहस अभिभाषक वादिया सुनी गई। बहस मे अभिभाषक वादिया ने बताया कि वाद पत्र मे अंकित तथ्यों एवं राजस्व दस्तावेजता के

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

(भीलवाड़ा) शुभ:

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार 2017

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी– श्री के0आर0 खौड़ आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	तारीख दायर	तारीख फैसला
28 / 2017 / वाद पत्र	10.04.2017	10.05.2017

उनवान

रेखा कंवर पत्नि राजेशसिंह राणावत निवासी शाहपुरा

– वादिया

बनाम

1–6 रामकिशन, नन्दलाल, गोपाल, मु0 सजनी, मु0 प्रेम, मु0 समेदरा, पिता हीरा जाट निवासी बड़ेसरा तहसील शाहपुरा
7– मु0 गुमानी पत्नि हीरा जाट निवासी बड़सेरा तहसील शाहपुरा
8–9 सुवालाल रामकुंवार पिता रामरतन जाट निवासी बड़ेसरा तह0 शाहपुरा
10– मु0 अलोल बेवा रामरतन जाट निवासी बड़ेसरा तह0 शाहपुरा
11– मैनेजर, एस0बी0बी0जे0 शाखा शाहपुरा
12– तहसीलदार, शाहपुरा

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर0टी0ए0

उपस्थित :– श्री चावण्डसिंह शक्तावत : अधिवक्ता वादिया

निर्णय

वादिया ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 रा0टी0ए0 विरूद्व प्रतिवादीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, ग्राम बड़ेसरा प0ह0 फूलियाखुर्द तहसील शाहपुरा मे वादिया व प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 10 के सहखातेदारी अधिकार की आराजी नम्बर 527 रकबा 0.70 है0, आ0न0 528 रकबा 0.63 है0 कुल किता 2 रकबा 1.33 है0 है। जिसमे वादिया का 1/4 हिस्सा निहित है। उक्त आराजीयात वर्तमान मे संयुक्त खातेदारी मे दर्ज होने से वादिया अपने हक हिस्से की आराजी मे लागत लगाकर और अधिक विकसित नही कर पा रही है इसलिए वादिया अपने हक हिस्से 1/4 अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाड़ा कराना चाहती है। प्रतिवादी नं0 11 बैंक मैनेजर है जिनके यहॉ वादिया का हिस्सा रहन है एवं प्रतिवादी नं0 12 लैण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाये गये है। अतः वादिया के पक्ष मे एवं प्रतिवादीगण नं0 1 से 10 के विरूद्व बंटवाड़ा आराजीयात की डिक्री इस अमर की जारी फरमाई जावे कि पैरा नं0 1 मे वर्णित आराजीयात जिसमे वादिया का 1/4 हक हिस्सा निहित है उस अनुसार मौके पर मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाड़ा किया जाकर डिक्री प्रदान करावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन नोटिस राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार – 2017 अटल सेवा केन्द्र फूलियाखुर्द कर तलब किया गया। प्रतिवादीगण दिनांक 10.05.2017 बावजूद सम्मन तामील उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रकरण मे वादिया स्वयं का शपथ पत्र साक्ष्य के रूप मे पेश किया गया जो पी0डब्ल्यू0 – 1 है। बहस अभिभाषक वादिया सुनी गई। बहस मे अभिभाषक वादिया ने बताया कि वाद पत्र मे अंकित तथ्यों एवं राजस्व दस्तावेजता के

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

आधार पर वाद पत्र स्वीकार किया जावे। बहस पर मनन एवं प्रकरण का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त आराजीयात की वादिया अन्य खातेदारान के साथ 1/4 हिस्से की खातेदार दर्ज रेकार्ड है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादिया स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री जारी किया जाना उचित समझता हूँ :–

आदेश

वादिया द्वार द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 रा0टी0ए0 विरूद्व प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 10 के स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि वाके ग्राम बड़ेसरा प0ह0 फूलियाखुर्द तहसील शाहपुरा मे स्थित आ0न0 527 रकबा 0.70 है0, 528 रकबा 0.63 है0 कुल किता 2 रकबा 1.33 है0 मे वादिया का 1/4 हक हिस्सा अनुसार मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाड़ा कर नक्शे मे तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है। शेष पक्षकारान का हिस्सा यथावत रहेगा वादिया के हिस्से का रहन यथावत रहेगा। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 10.05.2017 को विवृत न्यायालय मे सुनाया गया।

(के0आर0 खौड़)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा (भीलवाड़ा)

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार–2017

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा, जिला–भीलवाड़ा (राज.)

बईजलास श्री के० आर० खोड़, RAS

श्री [illegible] बनाम श्री 1-6 [illegible] 7 [illegible] 8-9 [illegible] 10 [illegible] 11 [illegible] 12 [illegible] शाहपुरा

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 RTA

मुकदमा नम्बर 28 सन् 17 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रुबरु अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व .... मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती हैं कि :–

वादी [illegible] शाहपुरा में खसरा नं. 527 रकबा 0.70 है, 528 रकबा 0.63 है कुल किता 2 रकबा 1.33 है में वादिया का 1/4 [illegible]

लिहाजा मुकदमे बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शरह फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख द सूलयाबी तक अदा करें ।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 10 माह 5 सन् 17

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)